राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर

एस.बी. आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 1027/2002

शंभू लाल पुत्र श्री भंवर लाल, जाति कुमावत, निवासी-कांकरोली, तहसील और जिला राजसमंद। (वर्तमान में जिला जेल, राजसमंद में बंद)-याचिकाकर्ता।

बनाम

राजस्थान राज्य-प्रतिवादी।

याचिकाकर्ता (ओं) के लिएः- श्री राजीव बिश्नोई।

प्रत्यर्थी (ओं) के लिएः- श्री महिपाल बिश्नोई, पी. पी., श्री सी. पी. मारवान द्वारा सहायता प्राप्त।

माननीय न्यायमूर्ति राजेंद्र प्रकाश सोनी

आदेश

रिपोर्ट योग्य

02/02/2024

1. याचिकाकर्ता अपीलीय न्यायालय के दिनांक 18.11.2002 के फैसले पर आपत्ति जताता है जिसके तहत अपीलीय अदालत ने संशोधनवादी (जिसे इसके बाद 'अभियुक्त' के रूप में संदर्भित किया गया है) की अपील को खारिज कर दिया है जो दोषसिद्धि के फैसले और निचली अदालत द्वारा पारित दिनांक 14.03.2000 के सजा के आदेश से संबंधित है।

2. 12.06.1994 को सुबह लगभग 8 बजे, एक जीप नं. आर. आर. टी. 7312 को आरोपी शंभू लाल चला रहा था और उसने 7 साल के एक बच्चे को टक्कर मार दी, जो कथित तौर पर सड़क किनारे खड़ा था। दुर्घटना में बच्चे की मौत हो गई। अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया और मुकदमा चलाया गया।

3. निचली अदालत ने माना कि आरोपी ने तेज गति के साथ-साथ लापरवाही से वाहन चलाया और इसी वजह से दुर्घटना हुई। अभियुक्त को आई. पी. सी. की धारा 279 और 304-ए के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था और कारावास की विभिन्न शर्तों की सजा सुनाई गई थी।

4. अभियुक्त ने अपनी दोषसिद्धि और सजा को अपीलीय अदालत के समक्ष चुनौती दी जिसने दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की।

5. निचली अदालत और अपीलीय अदालत दोनों ने आरोपी को तेज गति के साथ-साथ जल्दबाजी और लापरवाही से जीप चलाने का दोषी ठहराया। दोनों अदालतों ने आरोपी को दोषी ठहराने के लिए "रेस-इप्सा-लोकितुर" के सिद्धांत की सहायता पर जोर दिया। यह संशोधन अपीलीय अदालत द्वारा पारित उक्त फैसले के खिलाफ निर्देशित किया गया है।

6. अभियुक्त की ओर से पेश हुए श्री राजीव बिश्नोई ने मेरा ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया है कि निचली अदालत ने "रेस-इप्सा-लिक्विटुर" के सिद्धांत को लागू किया है, जिसे विद्वान

वकील के अनुसार, रिकॉर्ड पर उपलब्ध नेत्र साक्ष्य को देखते हुए लागू नहीं किया जा सकता है। गुण-दोष पर, यह तर्क दिया जाता है कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे यह साबित करने में विफल रहा है कि अभियुक्त उक्त अपराधों का दोषी था और निचली अदालत के साथ-साथ अपीलीय अदालत दोनों ने सही परिप्रेक्ष्य में साक्ष्य की सराहना नहीं करने में गलती की है।

7. इसके विपरीत, राज्य के विद्वान लोक अभियोजक ने निचली अदालतों के फैसलों का समर्थन किया और कहा कि निचली अदालत और अपीलीय अदालत द्वारा भी लिए गए विचार में कोई कमी नहीं है। वह प्रस्तुत करता है कि अभियोजन पक्ष ने उचित संदेह से परे साबित कर दिया है कि दुर्घटना आरोपी के कृत्य के कारण हुई थी और दुर्घटना में उसका वाहन शामिल था। वह आगे प्रस्तुत करता है कि अभियुक्त गवाहों की गवाही का खंडन करने में सक्षम नहीं है। वह प्रस्तुत करता है कि विवादित फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है इसलिए पुनरीक्षण याचिका खारिज की जा सकती है।

8. विचार के लिए जो मुद्दा उठता है वह यह है कि क्या अभियुक्त के खिलाफ दी गई दोषसिद्धि और सजा धारणीय है।

9. मैंने अभिलेख की जांच की है और पक्षों के विद्वान वकील को सुना है।

10. वर्तमान मामले में, आरोपी द्वारा जीप चलाने का तथ्य विवादित नहीं है। आरोपी ने स्वयं आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपने बयान में स्वीकार किया कि वह टक्कर के बाद मौके पर रुका था।

11. अपनी दलीलें शुरू करते हुए, अभियुक्त के विद्वान वकील ने बताया कि दोनों तथाकथित पुलिसकर्मी चश्मदीद गवाह यानी बरकत खान (पीडब्लू-1) और अंबालाल (पीडब्लू-4) दुर्घटना के समय मौजूद नहीं थे। उनकी उपस्थिति के लिए तर्क और औचित्य उचित संदेह से परे साबित नहीं हुए हैं। वे फर्जी गवाह हैं और उनकी गवाही न तो विश्वसनीय थी और न ही भरोसेमंद, इसलिए उनकी गवाही को खारिज कर दिया जाना चाहिए।

12. मामले के समर्थन में, अभियोजन पक्ष ने चार चश्मदीद गवाहों की गवाही पर भरोसा किया है, जिनमें से बरकत खान (पीडब्लू-1) और अंबालाल (पीडब्लू-4) क्रमशः पुलिस कर्मी थे। शेष दो चश्मदीद मृतक के पिता और माँ थे। बरकत खान और अंबालाल दोनों कथित तौर पर वारंट निष्पादित करने के लिए जा रहे थे और वे घटना स्थल के पास यानी बस स्टैंड पर खड़े थे।

13. बरकत खान (पीडब्लू-1) ने अपनी गवाही में कहा है कि वारंट का निष्पादन उनकी जिम्मेदारी नहीं थी, बल्कि यह उनके सहयोगी अंबालाल का कर्तव्य था। कि वारंट की उचित सेवा सुनिश्चित करने के लिए कोई भी साथ दे सकता है; कि वे घटना से कुछ मिनट पहले बस स्टैंड 10-15 पर खड़े थे। इसके विपरीत एक अन्य पुलिसकर्मी अंबालाल (पीडब्लू-4) ने पदच्युत कर दिया कि वारंट का निष्पादन बरकत खान की जिम्मेदारी थी। कि वे घटना के 1-2 मिनट बाद पहुंचे और जीप चालक ने प्रकाश और देवा दोनों को टक्कर मार दी थी। मृतक के पिता देवा (पीडब्लू-7) ने बताया कि पुलिस एक-दो घंटे बाद पहुंची।

14. उपरोक्त बयानों के समग्र विश्लेषण से घटनास्थल पर इन दो पुलिसकर्मियों की उपस्थिति के कारण के बारे में गंभीर संदेह पैदा होता है। इन गवाहों के बयान महत्वपूर्ण विरोधाभासों से भरे हुए हैं। इस तथ्य की पुष्टि कि ये दोनों पुलिसकर्मी किसी भी वारंट के

निष्पादन के लिए जा रहे थे, रोजनामचा डायरी की प्रविष्टि से पुष्टि नहीं होती है जो सबसे विश्वसनीय सहायक सबूत के रूप में काम कर सकती थी।

15. यह बच्चे के पिता देवा (पीडब्लू-7) का मामला नहीं है कि जीप ने भी उसे टक्कर मार दी, जबकि अंबालाल (पीडब्लू-4) ने बताया है कि देवा को भी जीप ने टक्कर मार दी थी। इन दोनों गवाहों ने एक-दूसरे के लिए अलग-अलग और विरोधाभासी बयान दिए।

16. ऊपर चर्चा किए गए साक्ष्य के आधार पर, घटना के समय इन दो पुलिसकर्मी गवाहों की उपस्थिति संदिग्ध साबित होती है और नीचे की अदालतों ने उनकी उपस्थिति की विश्वसनीयता को एक प्रमुख कारक के रूप में नहीं माना और चश्मदीद गवाहों के बयानों की गलत व्याख्या की।

17. अभियुक्त के लिए विद्वान वकील की अगली प्रस्तुति पर आते हैं जो इस तथ्य पर केंद्रित है कि किसी भी गवाह के बयान के आधार पर चालक की लापरवाही को साबित नहीं माना जा सकता है। उनके रुख के अनुसार, मृत बच्चे ने अचानक सड़क पार कर ली और उसके माता-पिता का उस पर कोई नियंत्रण नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप जीप से टक्कर हो गई, इसलिए, अभियोजन पक्ष यह स्थापित करने में विफल रहा है कि आरोपी जल्दबाजी या लापरवाही से वाहन चला रहा था।

18. यह आगे तर्क दिया जाता है कि किसी भी गवाह ने यह नहीं कहा कि आरोपी जल्दबाजी या लापरवाही से जीप चला रहा था, हालांकि यह बयान दिया गया था कि वाहन तेज गति से आ रहा था। उनके अनुसार, बच्चा अचानक सड़क पार कर गया जिससे जीप से टक्कर हो गई। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि इस कारण से आई. पी. सी. की धारा 279 के तत्वों को मामले में संतुष्ट नहीं माना जा सकता

है, इसलिए अभियोजन पक्ष आरोपी के जल्दबाजी या लापरवाही के कृत्य को साबित करने में पूरी तरह से विफल रहा है।

19. आक्षेपित फैसलों के अवलोकन से पता चलता है कि अपीलीय अदालत के साथ-साथ निचली अदालत ने यह निष्कर्ष निकाला है कि राजमार्ग पर स्थित एक गांव के पास तेज गति से गाड़ी चलाना और एक बच्चे से टकराना वास्तव में लापरवाही से गाड़ी चलाने का संकेत है।

20. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य की जांच करने पर, ऐसा लगता है कि बरकत खान (पीडब्लू-1) ने इस प्रभाव से गवाही दी कि जीप बहुत तेज गति से आ रही थी। एक अन्य गवाह देवा (पीडब्लू-7) ने कहा कि वह एक ट्रक में जयपुर से आया था और बस वहां से उतरा था। बादामी (पीडब्लू-8) ने इस प्रभाव से अपदस्थ किया कि वह ट्रक से माल उतारने पर ध्यान केंद्रित कर रही थी और उसे यह स्पष्ट नहीं है कि घटना किसकी गलती से हुई। जाँच अधिकारी भंवर सिंह (पीडब्लू-10) ने बताया कि दुर्घटना के समय जीप सही दिशा में और सड़क की ओर बढ़ रही थी।

21. आई. पी. सी. की धारा 279 के तहत आरोप लाने के लिए, अभियोजन पक्ष को न केवल इस तथ्य को साबित करना होगा कि आरोपी सार्वजनिक रास्ते पर वाहन चला रहा था, बल्कि यह भी साबित करना होगा कि इस तरह का वाहन चलाना इतना जल्दबाजी और लापरवाही थी कि मानव जीवन को खतरा था या किसी अन्य व्यक्ति को चोट या चोट पहुँचाने की संभावना थी। आपराधिक लापरवाही या आपराधिक लापरवाही एक महत्वपूर्ण तत्व है। केवल यह तथ्य कि अभियुक्त तेज गति से वाहन चला रहा था, इस धारा के प्रावधान को आकर्षित नहीं कर सकता है और अभियोजन पक्ष को कुछ और साबित करना होगा।

22. किसी भी गवाह ने यह दावा नहीं किया है कि चालक

अपनी जीप को जल्दबाजी या लापरवाही से चला रहा था। यह भी सच है कि बच्चे की माँ और पिता दोनों ट्रक से उतरने और अपना सामान उतारने में व्यस्त थे, जिससे बच्चे की गतिविधियों पर उनका कोई नियंत्रण नहीं रह गया। ऐसे परिदृश्य में जब सड़क के किनारे कई लोग मौजूद होते हैं, अगर आरोपी जल्दबाजी में या लापरवाही से तेज गति से जीप चला रहा होता, तो यह संभावना थी कि बस स्टैंड पर खड़ी भीड़ में से किसी को भी मारा या घायल किया गया होता, विशेष रूप से जब बच्चे के सड़क के किनारे खड़े होने की सूचना दी गई थी।

23. केवल इसलिए कि जीप को तेज गति से चलाया जा रहा था, यह लापरवाही या जल्दबाजी की बात नहीं करता है। अभियोजन पक्ष द्वारा जांचे गए गवाहों में से कोई भी कोई संकेत नहीं दे सका, यहां तक कि लगभग आरोपी के जल्दबाजी और लापरवाही के कृत्य के बारे में भी। जल्दबाजी और लापरवाही एक ऐसी राय है जो किसी व्यक्ति की धारणा के आधार पर अलग-अलग व्यक्ति में भिन्न हो सकती है। एक के लिए जो "उतावलापन और लापरवाही" हो सकती है वह दूसरे के लिए "उतावलापन और लापरवाही" नहीं हो सकती है। उच्च गति एक सापेक्ष शब्द है। एक व्यक्ति के लिए, 80 की गति से गाड़ी चलाना तेज गति, जल्दबाजी और लापरवाही हो सकती है और दूसरे के लिए यह नहीं भी हो सकती है।

24. आपराधिक मुकदमे में, अभियुक्त के खिलाफ आरोप स्थापित करने के लिए अनिवार्य रूप से सब कुछ प्रदान करने का बोझ हमेशा अभियोजन पक्ष पर निर्भर करता है और जब तक इसके विपरीत साबित नहीं हो जाता, तब तक अभियुक्त के पक्ष में निर्दोष होने का अनुमान होता है। आपराधिकता को नहीं माना जाना चाहिए। अभिलेख पर किसी भी सामग्री के अभाव में, अधिकतम "पुनरुत्थान" का आह्वान करके "जल्दबाजी" या "लापरवाही" का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। अभियुक्त की ओर से संलिप्त जीप चलाने में

लापरवाही या जल्दबाजी स्थापित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं होने के कारण, अपीलीय अदालत के साथ-साथ निचली अदालत द्वारा प्रतिवादियों को दोषी ठहराने में लिया गया दृष्टिकोण एक विकृत दृष्टिकोण है।

25. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और अभिलेखों के अवलोकन पर, मेरा विचार है कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे यह साबित करने में विफल रहा है कि अभियुक्त का आचरण जल्दबाजी और लापरवाही थी और अभियुक्त आई. पी. सी. की धारा 279 और 304-ए के तहत अपराध करने का दोषी है। याचिकाकर्ता का विद्वान वकील यह दिखाने में सक्षम रहा है कि इस बारे में उचित संदेह है कि क्या दुर्घटना आरोपी के जल्दबाजी और लापरवाही के कारण हुई थी। तदनुसार, मेरा विचार है कि निचली अदालत के साथ-साथ अपीलीय अदालत के निर्णय दुर्बलता से ग्रस्त हैं और अदालतें कानून में त्रुटि से ग्रस्त हैं जैसा कि ऊपर कहा गया है। इस प्रकार, मुझे तत्काल पुनरीक्षण याचिका में योग्यता मिलती है।

26. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता को संदेह का लाभ देते हुए अपीलीय न्यायालय के दिनांकित 18.11.2002 के आक्षेपित आदेश के साथ-साथ निचली अदालत के दिनांकित 14.03.2000 के दोषसिद्धि और सजा के आदेश को भी रद्द कर दिया जाता है। आरोपी को आई. पी. सी. की धारा 279 और 304-ए के तहत दंडनीय आरोपों से बरी कर दिया जाता है।

27. पुनरीक्षण याचिका को तदनुसार अनुमति दी जाती है और नियम को पूर्ण बनाया जाता है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा। अभियुक्त के प्रतिभूति बॉन्ड और जमानत बॉन्ड को खारिज कर दिया जाता है।

28. तथापि, आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 437ए के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता को रजिस्ट्री के समक्ष

50,000/- की राशि में एक व्यक्तिगत मुचलका और उतनी ही राशि में एक जमानत मुचलका प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है जो इस प्रभाव से 6 महीने की अवधि के लिए प्रभावी होगा कि वर्तमान आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका दायर करने की स्थिति में, उसके नोटिस की प्राप्ति पर, संशोधनकर्ता माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

(राजेंद्र प्रकाश सोनी), जे.

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक सुनील कुमार किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा मे समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अँग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अँग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।